2014/00020

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 30/2014

वादी

चौथाराम पुत्र श्री पन्नाराम फौत जिसके विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी

i. पप्पूराम पुत्र श्री चौथाराम
ii. बुधाराम पुत्र श्री चौथाराम
iii. मांगीलाल पुत्र श्री चौथाराम
iv. हेमाराम पुत्र श्री चौथाराम

जाति – नायक
निवासी – बांसवाड़ानगर भीयासर
तहसील – फलोदी
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पुखाराम पुत्र पन्नाराम
2. सुरजाराम पुत्र पन्नाराम
3. गोपीलाल पुत्र पन्नाराम
4. इन्द्रकुमार पुत्र नारायणराम
5. श्यामलाल पुत्र नारायणराम
6. कमला पत्नी नारायणराम
   प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 6 कमला पत्नी नारायणराम
7. सोहनलाल पुत्र पन्नाराम
8. भलुराम पुत्र हंसाराम
9. हड़मानराम पुत्र हंसाराम
10. सोमराज पुत्र हंसाराम
11. संतोष कुमार पुत्र हंसाराम
12. मुलाराम पुत्र हंसाराम
13. हुक्माराम पुत्र हंसाराम
14. सुखाराम पुत्र हंसाराम
15. मांगीदेवी पत्नी हंसाराम
16. मांगीदेवी पत्नी हंसाराम

सभी जाति –नायक
निवासीगण – बांसवाड़ानगर (भींयासर)
तहसील – फलोदी
जिला – जोधपुर (राज0)
तहसीलदार फलोदी।

दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री प्रवीणसिंह राठौड़ व भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.01.2020

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी की पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि **ग्राम** वांसवाड़ा नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा नं. 932 रकबा 32.05 वीघा भूमि का वंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्वाव के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी का 1/7 हिस्सा तादात 4.12 वीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के बंट में 27.13 वीघा भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

चौथाराम पुत्र श्री पन्नाराम फौत जिसके विधिक वारीसान व उत्तराधिकारी
i. पप्पूराम पुत्र श्री चौथाराम
ii. बुधाराम पुत्र श्री चौथाराम
iii. मांगीलाल पुत्र श्री चौथाराम
iv. हेमाराम पुत्र श्री चौथाराम
जाति – नायक
निवासी – बासवाड़ानगर भीयासर
तहसील – फलोदी
जिला जोधपुर

1. पुखाराम पुत्र पन्नाराम
2. सुरजाराम पुत्र पन्नाराम
3. गोपीलाल पुत्र पन्नाराम
4. इन्द्रकुमार पुत्र नारायणराम
5. श्यामलाल पुत्र नारायणराम
6. कमला पत्नी नारायणराम
   प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 6 कमला पत्नी नारायणराम
7. सोहनलाल पुत्र पन्नाराम
8. भलुराम पुत्र हंसाराम
9. हड़मानराम पुत्र हंसाराम
10. सोमराज पुत्र हंसाराम
11. संतोष कुमार पुत्र हंसाराम
12. मुलाराम पुत्र हंसाराम
13. हुक्माराम पुत्र हंसाराम
14. सुखाराम पुत्र हंसाराम
15. मांगीदेवी पत्नी हंसाराम
16. मांगीदेवी पत्नी हंसाराम

सभी जाति –नायक
निवासीगण – बांसवाड़ानगर (भींयासर)
तहसील – फलोदी
जिला – जोधपुर (राज0)
तहसीलदार फलोदी।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53,88, राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

संख्या 30/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री प्रवीणसिंह राठौड़, अधिवक्ता जानिब व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है बांसवाड़ा नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील दी के खेत खसरा नम्बर 932 रकबा 32.05 बीघा भूमि का बंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्वाव के साथ नजरी नक्शा ार वादी का 1/7 हिस्सा अर्थात 4.12 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के बंट में 27.13 बीघा भूमि रखी जाती तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव ाथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
ी याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दावा स्टाम्प	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प	–	–
लतनामा			वकालतनामा		
प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
तनामा वकील			मेहनतनामा वकील		
गवाहान			खर्चा गवाहान		
कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
इजराय हुक्मनामा			बावत् इजराय हुक्मनामा		
ान			मिजान		

– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-6-2016	आज दिनांक 16-6-2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत ग्राम पंचायत भींयासर अटल सेवा केन्द्र में आयोजित शिविर में न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 30/2014 अनवान चौथाराम बनाम पुखाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पत्रावली पेश हुई वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह राठौड़ उपस्थित है जिन्होनें निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा करवाया जावे, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि ग्राम बांसवाड़ा नगर पटवार क्षेत्र भींयासर के खसरा नं. 932 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है वादी अपने संयुक्त हिस्सेदारी की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करवाना चाहते है इसलिए राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत वाद वादी प्राथमिक डिक्री योग्य पाया जाता है। **आदेश** वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है ग्राम बांसवाड़ा नगर पटवार क्षेत्र भींयासर के खसरा नं. 932 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 के मध्य जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में स्वीकार किया जाता है तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा प्रस्ताव दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए आगामी तारीख तक पेश करें डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16-6-2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत आयोजित कैम्प ग्राम पंचायत भींयासर अटल सेवा केन्द्र में मजमे आम में सुनाया गया। (राकेश कुमार शर्मा RAS) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प भींयासर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.04 11:14:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: